न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

(रिव्यू) 3840-PBR-15

ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. / रिव्यूं / /2015

दिनांक 26-11-15 को श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।

26-11-15

1. श्रीमती राजकुमार शर्मा पत्नी स्व0श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा उर्फ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
2. शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा निवासीगण 42, बलवंतनगर ग्वा0 ....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती अनीता मिश्रा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी मकान न–44 पीयुष धारा भवन लोहिया मार्ग शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर
2. कु0रीता शर्मा पुत्री स्व0श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा
3. नरेन्द्रशर्मा पुत्र स्व0श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा.

.....प्रतिप्रार्थीगण

26/11/15

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मनोज गोयल के व्दारा निगरानी कमांक 37/96 पी0बी0आर 2012 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 के निर्णय के विरूद्ध पुर्नअवलोकन</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

कमांक रिव्यु 3840–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3796–पीबीआर/12 में पारित आदेश दिनांक 7–10–15 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	